Government employees in Sept. 1993. The pensioners are being paid Deamess Relief which is revised on six-compensate the pc in the cost of living beyond the avec the manner reeoiv, ■ by the IVlh Central Pay Commissioner, therefore, there is no need to sanction Interim Relief to the pensioners for the same purpose.

Retired persons appointed in CAT

2687. SHRI O.P. KOHLI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the details of Vice-Chairmen/Members appointed, after superannuation from service in the Central Administrative Tribunal, and not after seeking retirement while-in-service to join CAT; and

(b) the reasons for appointing retired Government servants on CAT and the steps taken to remove all such persons ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA) : (a) From amongst sixteen Vice-Chairmen and forty-seven Members of Central Administrative Tribunal in position as on 1-12-994, eight Vice-Chair-men, four Members (Judicial) and two Members (Administrative) have been appointed after superannuation from their respective services. Such Vice-Chairmen comprise seven High Court Judges and one former Member (Judicial) of Central Administrative Tribunal.

(b) The appointment of a retired person is not debarred by the Administrative Tribunals Act 1985 and as such it is not necessary to taks steps to remove them.

प्रारम्भिक परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के • प्रत्याशियों के चिलंबित परीक्षा फल

2688. **श्री नागमणि** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पिछली प्रारम्भिक परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत एक भी प्रत्याशी को सफल घोषित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या अनेक सांसदों द्वारा शिकायत एवं हो-हल्ला किए जाने के पश्चात् परीक्षाफल घोषणा के पुनः दो माह बाद अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ देते हुए उनका परीक्षाफल घोषित किया गया था ;

(ग) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों को फाइनल परीक्षा की तैयारी के लिए पहले से घोषित परिणाम वाले छात्रों से दो माह कम समय दिया जा रहा है ;

(घ) क्या पूर्व में भी विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा तिथि आगे बढाई गई है ;

(ङ) क्या अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को फाइनल परीक्षा की तैयारी हेतु दिया जा रहा दो मास से कम समय अत्यंत कम होने के कारण फाइनल परीक्षाओं की तिथि को इस बार भी दो माह आगे बढ़ाया जाएगा ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

• **कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा)** : (क) जी, नहीं । वस्तुतः, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 12-8-94 को घोषित परिणाम के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों के 1225 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए थे ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव किया था ताकि अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार ज्यादा संख्या में मुख्य परीक्षा दे सकें । सरकार ने प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया तथा 10-10-94 को इसे अधिसूचित कर दिया गया । तत्पश्चात संघ लोक सेवा आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के 1874 उम्मीदवारों की अनुपूरक सूची घोषित की ।

(ग) सिविल सेवा परीक्षाएं विश्व विद्यालय की परीक्षाओं के समान नहीं होती कि जहां उम्मीदवारों की परीक्षा उनको पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ली जाती है । अतः संघ लोक सेवा आयोग के लिए यह आवश्यक या बाध्यकारी नहीं है कि वह आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए समय दे ।